राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालयः उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005
फोनः 0141–2385522, फैक्स : 0141.2385503
इमेलः info@rfc.rajasthan.gov.in

कमांकः जीएडी 13(19)/33 एच

दिनांकः 18.07.2016

कार्य का नाम	राजस्थान वित्त निगम में मैनपॉवर कार्य हेतु संधारित संस्थाओं के माध्यम से लिये जाने हेतु (ड्राईवर /संदेशवाहक)
निविदा बोली प्रपत्र शुल्क	रूपये 200/–
वर्ष	2016–17
कार्य की लागत	रूपये 8,00,000/– अधिकतम
कार्य की अवधि	एक वर्ष
बयाना राशि	रूपये 16000/–
निविदा बोली प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	10.08.2016 को प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय (तकनीकी निविदा)	10.08.2016 को प्रातः 11.30 बजे तक
योग्य उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष (वित्तीय निविदा)	दिनांक 12.08.2016 को प्रातः 11 बजे

नोटः एस पी पी पी पोर्टल से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने वाले निविदादाताओं (केवल संधारित संस्था) को सूचित किया जाता है कि प्रपत्र के साथ रूपये 200/– (अक्षरे दो सौ रूपये मात्र) का डी डी राजस्थान वित्त निगम जयपुर के नाम से संलग्न करना आवश्यक होगा । इसके अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नही किया जाएगा ।

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालयः उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005
फोनः 0141–2385522, फैक्स : 0141.2385503
इमेलः info@rfc.rajasthan.gov.in

निगम में संधारित संस्थाओं के माध्यम से मैनपॉवर कार्य ड्राईवर/संदेशवाहक हेतु निविदा व संविदा की शर्ते

टिप्पणीः– निविदाकार संधारित संस्थाओं को, निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तो को घ्यानपूर्वक पढना चाहिए तथा निविदायें भेजते समय पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये ।

निविदादाता (संधारित संस्था) को दो अलग–अलग सीलबन्द लिफाफों में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत करनी होगी । दोनो लिफाफे अलग–अलग निर्धारित बक्सों में डालने होंगे । तकनीकी निविदा की शर्ते पूर्ण करने वाली फर्मो की ही दर निविदा खोली जायेगी ।

निगम को संधारित संस्थाओं के माध्यम से निम्नांकित संविदाकर्मियों की आवश्यकता रहेगी। कर्मियों की संख्या में कमी या वृद्धि करने तथा किसी भी कर्मी हेतु मेनपावर/कार्य हेतु आदेश देने अथवा नही देने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

क.सं.	नाम	अनुमानित संख्या
1	ड्राईवर	2
2	संदेशवाहक	7

सामान्य शर्तेः–

1. निविदा भरते समय लिफाफे के ऊपर जिस कार्य के लिए निविदा भरी जा रही है, उसका स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है।
2. निविदा शर्तों में शब्द "कार्य" से तात्पर्य "योग्यताधारी कार्मिक प्रदाय" से हैं, जिसके लिए निविदा आंमत्रित की गई है।

3. निविदादाता (संधारित संस्था) को तकनीकी निविदा के साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत कर्मकारों की पूर्ण सूचना मय श्रमिक का (अंशदान + नियोक्ता के अंशदान सहित) पी.एफ.एवं ई.एस.आई. विभाग द्वारा जारी की जाने वाली विवरणी को संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. श्रम विभाग के नियमो का पूर्ण रुप से पालन करना सम्बन्धित अनुबन्धकर्ता की जिम्मेदारी होगी । शर्तो का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित अनुबन्ध तुरन्त निरस्त कर दिया जावेंगा।
5. निविदादाता (संधारित संस्था) को तकनीकी निविदा में निम्न दस्तावेज संलग्न करना होगा–
   (1) बयाना राशि
   (2) फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति
   (3) सर्विस टैक्स नम्बर प्रमाण पत्र की फोटोप्रति
   (4) भविष्यनिधि एवं ईएसआई विभाग के रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की फोटोप्रति मय 2015–16 में जमा कराई गई विवरणी की मय श्रमिक नाम व राशि सहित प्रति
   (5) फर्म के आयकर नम्बर की फोटोप्रति तथा एकल फर्म की स्थिति में मालिक के पैन नम्बर की फोटोप्रति
   (6) दर वाले प्रपत्र को तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में नहीं रखना है।
   निविदादाता (संधारित संस्था) को यह ध्यान में रखना है कि उपरोक्त बातों का आवश्यकरूप से पालन किया जावें अन्यथा उसकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
6. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशानुसार उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करनी चाहिए।
7. दरों की इकाईयों मे किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। दरें शब्दों में तथा अंकों दोनों में केवल स्याही द्वारा भरी जानी चाहिए।
8. निविदायें, कार्य के लिए पंजीकृत संधारित संस्थाओं द्वारा ही दी जानी होगी। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।
9. निविदायें भरने से पूर्व निविदादाता (संधारित संस्था) को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनके पास आवश्यक पैन नम्बर व टिन नम्बर है।
10. निविदादाता (संधारित संस्था) निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकर करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
11. निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

12. अनुमोदित निविदादाता (संधारित संस्था) के लिए यह समझा जायेगा कि उसने कार्य से संबंधित योग्यता इत्यादि सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इनके बारे में कोई संदेह हो तो वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे निगम के अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।
13. निविदाकार (संधारित संस्था) अपनी संविदा को या उसके सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा।
14. कार्य हेतु संविदा को, यदि कार्य प्राधिकृत अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता (संधारित संस्था) को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय अनुबंध को निरस्त कर सकता है। यह इस प्रकार निरस्त होने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
15. निविदादाता (संधारित संस्था) का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
16. निविदा के साथ रूपये 16,000/– बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में **राजस्थान वित्त निगम, जयपुर** के नाम देय होनी चाहिए। असफल निविदादाता (संधारित संस्था) की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटाई जायेगी।
17. अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि निक्षेप की सभी निविदाओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि सें प्राप्त राशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
18. बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि का समपहरण निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा–
    1. जब निविदादाता (संधारित संस्था) निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस कर लेता है या प्रस्ताव को (मोडिफिकेशन) उपान्तरित करता है।
    2. जब निविदादाता (संधारित संस्था) विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता।
    3. जब कार्य आदेश दिये जाने के पश्चात् नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
    4. जब निर्धारित समय में कार्य प्रारंभ करने में विफल रहता है।
19. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने के 07 दिन की अवधि के भीतर रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्चे पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन कार्यों के लिए निविदायें स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर

कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance Security) जमा करानी होगी। यह कार्य संपादन प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जायेगी। यह राशि बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) से कम नहीं होगी तथा इस पर किसी तरह का ब्याज नहीं दिया जायेगा। यह राशि नगद/ बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जायेगी। यह राशि कार्य पूर्ण करने के 6 माह अथवा गारण्टी /वारण्टी समय सीमा जो भी अधिक हो के बाद के कार्य संतुष्टि के पश्चात् लौटाई जायेगी। जिसमें से निविदादाता (संधारित संस्था) के विरूद्ध कोई देय बकाया राशि हो तो उसकी कटौती कर ली जावेंगी।

20. कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance Security)राशि को निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकता है:–

    (अ) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
    (ब) जब निविदादाता (संधारित संस्था) संपूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में विफल रहता है।
    (स) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। समय के संबंध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

21. करार पत्र के पूर्ण करने का समस्त व्यय निविदादाता (संधारित संस्था) का होगा।

22. सभी कार्य निगम परिसर में पूर्ण करने होंगे। कार्य पूर्ण करने पर अनुमोदित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का खर्चा आदि कोई हो तो निगम द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

23. शर्ते निविदा में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा सशर्त निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

24. कार्य निर्धारित अवधि में (जो कि कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से गणना की जायेगी) पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्य में विलम्ब के लिए निम्न प्रकार से परिनिर्धारित क्षति लगाई जायेगी।

    (1) अ– निश्चित अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
        ब– एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
        स– आधी अवधि से अधिक किन्तु निश्चित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक के लिए 7.5 प्रतिशत
        द– निश्चित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

    (2) विलम्ब की अवधि गणना में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा।

    (3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी। साथ ही अधिकतम विलम्ब भी निर्धारित अवधि के बराबर से ज्यादा मान्य नहीं होगा, इससे विलम्ब होने पर निविदा रद्द की जा सकती है।

25. यदि संविदा के निवर्चन आशय या निविदा की शर्तों के उल्लघंन के संबधं में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (Arbitator)के रूप में मान्य होगें तथा उनका अंतिम निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।

26. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार सरकार या संधारित संस्था द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

27. सफल निविदादाता (सधांरितसंस्था) के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कार्य करने में असफल रहने, संतोषजनक नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयुपर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित एजेन्सी/ फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति राशि / प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जावेगी।

28. अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने के पश्चात् आपसी सहमति के आधार पर अनुबन्ध की अवधि अधिकतम छः माह के लिये बढाई जा सकेगी तथा उस पर पूर्व निर्धारित शर्ते लागू होगी।

29. कार्य पर रखे गये संविदा कार्मिक को संधारितसंस्थान द्वारा जारी निविदा प्रपत्र में अंकित शुद्ध राशि (Net Amount) से कम भुगतान नही किया जावेगा । अगर कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance Security) को जब्त कर लिया जावेगा।

30. अनुबन्धकर्ता (संधारितसंस्था) द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा। भारत सरकार/राज्य सरकार के समय समय पर जारी सम्बन्धित नियमों/आदेशो की पालना करना अनुबन्धकर्ता की जिम्मेदारी होगी।

31. अनुबन्धकर्ता संधारितसंस्था को प्रशासन के निर्देशानुसार संख्या में मैनपावर उलपब्ध करानी होगी। संधारितसंस्था द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु पर्याप्त संख्या में मैनपावर उपलब्ध करानी होगी। यदि किसी समय संधारित संस्था द्वारा पर्याप्त संख्या में मैनपावर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो कम उपलब्ध कराई गई मैनपावर की ठेके में अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर आकलन की गई राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल में से काटी जावेगी। संधारितसंस्था को वास्तव में उपलब्ध कराई गई मैनपावर का (संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर) ही भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा।

32. अनुबन्धकर्ता संधारितसंस्था के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने ,अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस संधारितसंस्थान के कर्मकार को हटाने का आदेश देता है तो संधारित संस्था द्वारा तुरन्त उस कार्मिक के स्थान पर अन्य कार्मिक उपलब्ध कराना होगा।

33. उक्त अनुबन्ध कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई लाइसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह संधारित संस्था स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। संधारित संस्था को अपने कार्मिकों के कार्य दिवस, कार्य के घन्टे, दिए गए पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संधारित संस्था की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगें जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

34. अनुबन्धकर्ता संधारितसंस्था को श्रम विधि नियम, उप नियम व अधिसूचनाएँ आदि में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व संधारित संस्था का होगा। श्रम विधि नियम, उप नियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संधारित संस्था पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा। संधारित संस्था को श्रम विधि नियमों उप नियम तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना करने का पूर्ण दायित्व सधांरित संस्था का होगा। पालना नहीं करने की स्थिति में राजस्थान वित्त निगम के प्रबन्ध निदेशक को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

35. यदि अनुबन्धकर्ता संधारित संस्था के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें निगम को भी पक्षकार बनाता है तो निगम पर पडने वाले समस्त आर्थिक भार की वसूली सधांरित संस्था से की जावेगी।

36. अनुबन्धकर्ता संधारित संस्था द्वारा अपने कर्मकारों को देय राशि सीधे अपने स्तर पर कर्मी को करना होगा।

37. यदि अनुबन्धकर्ता संधांरतसंस्था एवं उसके श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी सधांरित संस्था की होगी, राजस्थान वित्त निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी एक कर्मी को 180 दिवस से अधिक निरन्तर निगम के कार्य हेतु उपलब्ध नहीं किया जायेगा और यदि कर्मी को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित

श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन; छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त प्रकार का दायित्व संधारित संस्था का होगा।

38. अनुबन्धकर्ता संधारितसंस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी व दायित्व, क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी संधारित संस्था की होगी। इसके लिए सरकार एवं निगम किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा।
39. अनुबन्धकर्ता संधारितसंस्था द्वारा संविदा पर उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मचारियों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो व सम्पूर्ण बायोडॉटा सहित संस्थान कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। इनके आचरण एवं उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए सधांरित संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
40. अनुबन्धकर्ता संधारितसंस्था द्वारा कार्य बीच में छोड देने या कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में संधारित संस्था को स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान वित्त निगम को होगा।
41. निगम द्वारा ठेके से सम्बन्धित कोई भी सूचना सधांरित संस्था से कभी भी प्राप्त की जा सकती है, अतः इसके लिए संधारित संस्था को निविदा स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को नामजद करना होगा जो कि संधारित संस्था के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी है। ऐसा अधिकृत व्यक्ति निगम/ केयर टेकर के सम्पर्क में रहेगा एवं निगम द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।
42. निविदादाता (सधांरितसंस्था) का श्रम विभाग/ईएसआई एवं पी.एफ. विभाग में पंजीकरण आवश्यक होगा जिसके सम्बन्धित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होगें। निविदादाता द्वारा यदि सर्विस टैक्स की मांग की जाती है तो उसका सर्विस टैक्स के लिए पंजीकृत होना आवश्यक होगा । पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
43. अनुमोदित निविदादाता (सधांरितसंस्था) को भुगतान बिल पारित होने के पश्चात किया जावेगा तथा पारित बिल में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती कर शेष राशि का चैक सम्बन्धित फर्म के नाम बनाया जाकर फर्म को भुगतान किया जावेगा । सम्बन्धित फर्म द्वारा कार्मिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान उनकें द्वारा सीधे ही कर्मी को देना होगा तथा ई एस आई ,ईपीएफ एवं सर्विस टैक्स की देय राशि

सम्बन्धित विभागों को फर्म द्वारा स्वयं के स्तर से जमा कराई जावेगी तथा सम्बन्धित समस्त विभागों की पालना सुनिश्चित करना होगा।

यदि संघारित संस्था द्वारा भेजे गये कर्मी किसी कारणों से अवकाश पर रहते है तो उसकी सूचना निगम को पूर्व में देनी होगी तथा उसके स्थान पर दूसरे कर्मी की व्यवस्था करनी होगी।

1. सम्बन्धित श्रमिक का **ईएसआई एवं पीएफ का भुगतान** (श्रमिक का अंशदान +नियोक्ता का **अंशदान+अन्य व्यय) तथा सर्विस टैक्स की राशि स्धांरित संस्था द्वारा सम्बन्धित विभाग में प्रतिमाह जमा कराई जावेगी ।**

44. निविदादाता (सधांरितसंस्था) फर्म का गत तीन वर्षो में प्रतिवर्ष कम से कम रू. 15.00 लाख का टर्न ओवर (मैन पावर कार्य)होना आवश्यक होगा । निविदादाता (सधांरितसंस्था) द्वारा निविदा के साथ पिछले तीन वर्ष की ओडिटेड बेलेन्स सीट्स (Audited balance sheet including income & expenditure a/c)संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाकर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

विशेष शर्तेः–

1. संविदाकर्मी की अनुपस्थिति की स्थिति में सधांरितएजेन्सी/फर्म द्वारा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
2. यह अनुबन्ध मैनपावर की सेवा प्रदान करने हेतु है जो केवल पंजीकृत एवं मान्य सधांरितएजेन्सी से संबंधित है न कि किसी कार्मिक विशेष के लिए।
3. निगम में लगाई गई मैनपावर को प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम की अनुमति पश्चात ही अनुबन्ध पर लगाया जाएगा। निगम किसी भी अनुबन्धित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से हटाने का आदेश निविदादाता (सधांरितसंस्था) को देने का अधिकार रखती है। अनुबन्धित फर्म कार्मिक को हटाने पर 48 धंटे में दूसरा सक्षम कार्मिक उपलब्ध कराएगी।
4. मैनपावर निगम की कार्य आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराया जावेगा । मैनपावर की योग्यता कार्य शियूड्ल में वर्णित हैं । यदि कोई बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है तो एक दिन की अनुपस्थिति के एवज में दो दिन का आनुपातिक भुगतान काटा जाएगा। अनुमति लेकर अनुपस्थित रहने पर मात्र अनुपस्थित अवधि का भुगतान काटा जाएगा।
5. गत माह की कटौतियों का ब्यौरा माहवार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा कटौतियाँ नियमानुसार नहीं होने पर निविदादाता की धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी।
6. वाहन चालक को मुख्यालय से बाहर रात्रि विश्राम की स्थिति में 150 रूपये प्रति रात्रि अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
7. श्रम विभाग द्वारा यदि वर्तमान में देय न्यूनतम दरों में वृद्धि की जाती है तो उसके अनुसार आपसी सहमति से अनुपातिक रूप से आवश्यक वृद्धि की जा सकेगी।
8. संविदाकर्मियों की योग्यता, कार्यानुभव एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का विवरण निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न विवरणिका में दिया गया हैं।

9. निविदाकार (सधांरितसंस्था) द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/श्रम विभाग के समस्त नियमों/आदेशो का पालन करना आवश्यक होगा।
10. निविदादाता का आशय सधांरित ऐजेन्सी जो पंजीकृत व मान्य एजेन्सी ही समझा जावे ।
11. संदेशवाहक / वाहन चालक का उपयोग निगम के मुख्यालय या निगम स्थित जयपुर शाखाओं में कही भी लिया जा सकता है ।
12. संविदा कर्मियों की संख्या में कमी या वृद्वि निगम की आवश्यकता को देखते हुवे की जा सकती है।
13. संधारित संस्था द्वारा लगाये गये कर्मियों को उनके द्वारा किये गये भुगतान का अगले माह पूर्ण विवरण अपने बिल के साथ बैंक खाते का गत माह का स्टेटमेंट भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें उनके द्वारा कर्मियों को किये गये भुगतान की प्रविष्टियां चैक करानी होगी।
14. निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निगम को निरस्त करने का अधिकार होगा ।
15. निविदा एवं अनुबन्ध पत्र के प्रावधान आर टी पी पी एक्ट व रूल्स के अनुसार होंगे ।

उपर्युक्त सभी शर्तें मैने/ हमने ध्यान पूर्वक पढ़ ली है और मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार हैं। राजस्थान वित्त निगम द्वारा किया गया निर्णय मेरे/हमारे लिए सर्वोपरि होगा।

हस्ताक्षर निविदाकार (सधांरितसंस्था)
नाम, पता व मोबाइल नम्बर

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत विवरण

कार्य का नाम : राजस्थान वित्त निगम में केवल सधांरितसंस्थाओं के माध्यम से मैनपावर ड्राईवर/संदेशवाहक के कार्य हेतु उपलब्ध कराना।

1. फर्म/ सधांरितसंस्था का नाम ....
2. संपर्क हेतु डाक का पूरा पता ....
....
....
3. दूरभाष कार्यालय एवं निवास. ....
4. ई–मेल.. ....
5. फर्म मालिकाना है या साझेदारी अथवा रजिस्टर्ड संस्था (रजिस्टर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
6. फर्म के मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता व मोबाइल नम्बर ....
....
....
7. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के द्वारा जारी रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र क्रमाक व दिनांक ....
....
8. (क) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता ....
....
   (ख) किस हैसियत (यथा मालिक/अधिकृत अधिकारी/मैनेजर/सचिव) से हस्ताक्षर किये है। ....
   (ग) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किये है– हां या नहीं
9. एक राजकीय विभाग/उपक्रमों व एक प्रतिष्ठित निजी संस्थान में उक्त कार्य हेतु प्रदाय किए जाने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न करें। ....
10. अमानत राशि (सलंग्न) का विवरण बैंकर चैक संख्याा/नकद की रसीद संख्या, दिनांक व राशि ....
....
11. संबधित सर्किल के वाणिज्य कर अधिकारी के द्वारा जारी 31.3.15 तक का बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करे।. ....
12. पैन/ टीन नम्बर अंकित करें. ....
13. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं एवं जमा का प्रमाण पत्र संलग्न करें ....
....

उपर्युक्त जानकारियां सही तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबन्ध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विंसगतियां प्रमाणित हो तो अनुबन्ध निरस्त करने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता (सधांरितसंस्था) हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक——————

पद ——————

मोबाइल नम्बर ————

तकनीकी निविदा

कार्य का नाम : राजस्थान वित्त निगम में केवल सधांरितसंस्थाओं के माध्यम से मैनपावर ड्राईवर/संदेशवाहक के कार्य हेतु उपलब्ध कराना।

1. फर्म/ संस्था का नाम . .....
2. संपर्क हेतु डाक का पूरा पता .....
.....
.....
3. दूरभाष कार्यालय.....निवास.....
4. ई–मेल .....
5. फर्म (सधांरित संस्था) मालिकाना है साझेदारी अथवा रजिस्टर्ड संस्था (रजिस्टर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें) .....
.....
6. फर्म (सधांरित संस्था) के मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता व मोबाइल नम्बर .....
.....
.....
7. श्रम विभाग द्वारा जारी रजि. प्रमाण पत्र व दिनांक (रजिस्टेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. (अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता .....
.....

   (ब) किस हैसियत (यथा मालिक/अधिकृत अधिकारी/मैनेजर/सचिव) से हस्ताक्षर किये है। .....

   (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किये है– हां या नहीं.
9. किसी राजकीय विभाग /उपक्रमों व एक प्रतिष्ठत निजी संस्थान में इस प्रकार के कार्य के कार्मिक की सेवाये आपूर्ति करने का अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
.....
10. अमानत राशि (सलंग्न) का विवरण बैंकर चैक संख्या/नकद की रसीद संख्या, दिनांक व राशि .....
.....
11. फर्म के पास उपलब्ध तकनीकी विवरण

(अ) मैनपावर की समुचित संख्या मे उपलब्धता

ड्राईवर	हैं / नहीं
संदेशवाहक	हैं / नहीं

(ब) सेवा एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 15.00 लाख (Audited balance sheet including income & expenditure a/c हैं/नहीं

(स) मैनपावर कार्य का अनुभव हैं/नहीं

(द) सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन एवं जमा कराने का प्रमाण पत्र संलग्न हैं/नहीं

(इ) भविष्यनिधि एवं ई एस आई विभाग के रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की फोटोप्रति मय वित्तीय वर्ष 2015–16 मे जमा कराई गई विवरणी की प्रति जिसमें श्रमिकों का नाम व शशि सहित प्रति सलंग्न करें।

(एफ) फर्म के आयकर नम्बर की छाया प्रति तथा एकल फर्म की स्थिति में मालिक के पेन नम्बर की प्रति सलंग्न करें।

उपर्युक्त जानकारियां सही तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबन्ध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विंसगतियों प्रमाणित हो तो अनुबन्ध निरस्त करने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता (सधांरितसंस्था) के हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक ——————————

पद ——————————

नोटः जो पद लागू न हो तो कृप्या उसे काट दे।

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालयः उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005
फोनः 0141–2385522, फैक्स : 0141.2385503
इमेलः info@rfc.rajasthan.gov.in

कार्य का नाम : राजस्थान वित्त निगम में केवल सधांरितसंस्थाओं के माध्यम से मैनपावर ड्राईवर/संदेशवाहक के कार्य हेतु उपलब्ध कराना।

वित्तीय निविदा प्रपत्र

क. सं.	संविदा सेवा का नाम	संविदा कर्मी को देय राशि	सविदा कर्मी से जमा योग्य कटौती ईपीएफ + ईएसआई **12% + 1.75% = 13.75%**	संविदा कर्मी को संधारित संस्था द्वारा देय शुद्व राशि	संघारित संस्था द्वारा देय राशि ईपीएफ **12% + 1.61%**	संघारित संस्था द्वारा देय राशि ईएसआई **4.75 %**	कॉलम संख्या 3,6.7 का योग	प्रशासनिक प्रभार कॉलम तीन का प्रतिशत	कुल देय राशि क.सं. 8 व 9 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ड्राईवर (वाहनचालक)	8116	1116	7000	1105	386	9607		
2	संदेशवाहक	5797	797	5000	789	275	6861		

नोटः–

1. संधारित संस्था को कॉलम 10 की राशि के अतिरिक्त सरकार के नियमानुसार सेवाकर देय होगा।
2. निविदादाताओं की तुलना कालॅम संख्या 9 व 10 में दी गई दरों के आधार पर की जायेगी।

निविदादाता (सधांरितसंस्था) के हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक ——————————

पद ——————————

नोटः जो पद लागू न हो तो कृप्या उसे काट दे।

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालयः उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005
फोनः 0141–2385522, फैक्स : 0141.2385503
इमेलः info@rfc.rajasthan.gov.in

कार्य का नाम : राजस्थान वित्त निगम में केवल सधांरितसंस्थाओं के माध्यम से मैनपावर ड्राईवर/संदेशवाहक के कार्य हेतु उपलब्ध कराना।

संधारितसंस्था द्वारा संविदा कर्मियों की योग्यता एवं किये जाने वाले कार्य का विवरण

क्र.सं.	संविदा सेवा का नाम	पदों की संख्या	योग्यता / पात्रता	कार्यानुभव	किए जाने जावे कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	संदेशवाहक	7	पॉचवीं पास	किसी सरकारी कार्यालय एवं संस्थान में न्यूनतम एक वर्ष का कार्यानुभव	निगम में संविदा कर्मी के रूप में अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करेंगे ।
2	ड्राईवर	2	आंठवी पास, कार/जीप चलाने का वैद्य लाईसेन्स तथा स्वस्थ होना चाहिए	3 वर्ष का राजकीय / प्राईवेट संस्था में हल्का वाहन चलाने का कार्यानुभव	निगम कें अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करेंगे ।

1. निगम में कार्य की आवश्यकतानुसार कार्मिकों में कमी/वृद्धी की जा सकती है।
2. वाहन चालक/संदेशवाहक की उम्र 50 वर्ष से अधिक नही होगा तथा स्वच्छ चरित्र का जिसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में / पुलिस थाने में किसी तरह का आपराधिक कोई भी केस दर्ज नही होगा ।
3. वाहन चालक पुरूष वर्ग का ही होगा ।

निविदादाता (सधांरितसंस्था) के हस्ताक्षर मय मोहर
नाम व पता दूरभाष सहित

नोटः जो पद लागू न हो तो कृप्या उसे काट दे।